## MOTION FOR ELECTION TO THE AD-VISORY COUNCIL OF THE DELHI DE-VELOPMENT AUTHORITY

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI OM MEHTA): Sir, I move:

"That in pursuance of clause (h) of sub-section (2) of section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to be a member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority."

The question was put and the motion was adopted.

श्री भैरों सिंह शेखावत (मध्य प्रदेश) : भ्रान ए प्वाइंट भ्राफ आर्डर। यह मोशन डी० डी० ए० के संबंध में है और इस सम्बन्ध में मै वोलना चाहता हं।

श्री सभापति : वह तो खत्म हो गया।

श्री भरों सिंह शेखावत: मैं बहुत देर से खड़ा हं। मेरा निवेदन यह है कि . . .

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : मेरा बड़ा नम्रता पूर्वक निवेदन है कि हम लोग जो इस सदन में नये-नये श्राए हैं हमें वह पद्धति बताई जाए जिससे श्रापकी श्राखें पकड़ी जा सकें। हमें श्रपनी श्राखें पकड़ने का रास्ता बताइए। श्रगर हम उसी तरह का शोर करने लगें, उसी प्रकार का व्यवहार करने लगें जिस प्रकार श्रोर साथी करते है तो उचित नहीं होगा।

मैं बहुत दिन से देख रहा हूं कि अगर कोई बात कहनी हो, वैधानिक ढग से कहना चाहें तो हमें अवसर नहीं दिया जाता । अगर हमें अवसर नहीं दिया जाएगा तो विवश होकर हमें भी वही रास्ता अपन ना पड़ेगा । हम इस प्रश्न के ऊपर कुछ कहना चाहते थे और आपने एकदम "आयज" कहलाकर वह प्रश्न खत्म कर दिया और हम खड़े ही रह गए । आप बताइए कैंसे हम आपकी आंख पकड़ें।

श्री सभापति : प्रकाशवीर जी ग्राा नये मैम्बर नही है . . .

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस हाऊस के लिए मैं नया ही हूं।

श्री सभापित : मैंने ग्रापको कई दफा मौका दिया है। ग्राप देखते हैं कि जो मेरी एटैन्शन ड्रा करना चाहते हैं, उनमें से कोई 'मिस्टर चेयरमैंन' कहते हैं, कोई 'सर' कहते हैं ग्रीर मेरी ग्रांखें एकदम उधर घूम जाती है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैने सभापति जी कहा था...

श्री भैरों सिंह शेखावत: मैने सभापित महोदय कहा था...

श्री प्रकाश वीर शास्त्री: यह मेरा दुर्भाग्य है कि मने श्रापकी नजर श्राकिषत करने के लिए 'मिस्टर चेयरमैन' या 'सर' नही कहा । मैने सभापित जी कहा।

श्री सभापति : श्राप सभापति जी कहें या ग्रौर किसी तरह से मेरी तवज्जोह दिलाएं...

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: सभापित जी, मेरा सुझाव यह है कि इस प्रश्न को लेकर इस सदन में श्रीर दूसरे सदन में श्री चर्चा हो चुकी है तो में यह चाहता हूं दिल्ली विकास प्राधिकरण की जितनी भी कालोनियां हैं इन सब की एक बार जाच कराई जाए। क्योंकि जब एक के बारे में घोटाला हो चुका है तो हो सकता है दूसरी कालोनियों में भी हो...

श्री सभापति : इसके लिए कोई ग्रौर प्रोसीजर है, कोई ग्रौर मोशन हैं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री: क्या इस वक्त हम अपने सुझाव नहीं दे सकते ?

श्री सभापित : श्रापको मालूम है कि उस वक्त जबिक श्रपाएंटमैन्ट्स किस्म का मोशन हो उस वक्त कोई डिबेट नहीं होती ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री: सुझाव तो ग्रा सकते हैं।

138

श्री सभापति : क्योंकि ग्रब मैं पास कर चुका हं इसलिए उसे वापस नहीं लिया जा सकता।

श्री राम कृपाल सिंह (बिहार): श्रध्यक्ष जी, मैं इस सदन में नया मैंम्बर हूं और श्राखिरी बैच पर बैठा हूं। श्रीमन् जब मैं हाथ उठाता हूं या सर भी कहता हूं तो भी ध्यान नहीं दिया जाता।

श्री सभापति : स्राप 'सर' कहिए या जो चाहे कहिए परन्तु मेरे कानों तक स्रावाज स्रानो चाहिए ।

MOTION REGARDING APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE RAJYA SABHA TO THE JOINT COMMITTEE OF THE HOUSES ON THE ADOPTION OF CHILDREN BILL, 1972.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHURY): Sir, I move:

"That Shrimati Margaret Alva, Shri T. V. Anandan and Shri Prakash Vir Shastri be appointed to the joint Committee of the Houses on the adoption of Children Bill, 1972, in the vacancies caused by the retirement of Sarvashri Shyam Dhar Misra, Man Singh Varma and Joachim Alva from the membership of the Rajya Sabha on the 2nd April, 1974."

The question was put and the motion was adopted.

MOTION REGARDING APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE RAJYA SABHA TO THE JOINT COMMITTEE OF THE HOUSES ON THE CONSTITUTION (THIRTY-SECOND AMENDMENT) BILL, 1973.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI UMASHANKAR DIKSHIT): Sir, I move:

That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do appoint five members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution (Thirty-second Amendment) Bill, 1973, in the vacancies caused by the retirement of Sarvashri Jaisukhlal Hathi, Ajit Prasad Jain, Ram

Niwas Mirdha, C. D. Pande and Bindeshwari Prasad Singh from the membership of the Rajya Sabha on the 2nd April, 1974, and resolves that Sarvashri Ram Niwas Mirdha, Mohammad Yunus Saleem, Mahendra Bahadur Singh, Kishan Lal Sharma and Banarsi Das, members of the Rajya Sabha, be appointed to the said Joint Committee to fill the vacancies.

The question was put and the motion was adopted.

## MESSAGE FROM THE LOK SABHA The Constitution (Thirty-fifth Amendment) Bill, 1974.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Constitution (Thirty-fifth Amendment) Bill, 1974, which has been passed by Lok Sabha at its sitting held on the 8th May, 1974, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

श्री सभापति : श्री शेखावत ।

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): On a point of order.

MR. CHAIRMAN: I will call you after he finishes.

## REFERENCE TO NEW FRIENDS' CO-OPERATIVE SOCIETY.

श्री भैरों सिंह शेखावत (मध्य प्रदेश) : न्यू फ्रंड्स-कोग्रापरेटिव सोसाइटी के खिलाफ श्री जगजीत सिंह ने एक पत्र लैफ्टीनेन्ट गवर्नर को लिखा है...

श्री सभापति : ग्राप डिटेल्ज में न जाइए।

श्री भैरों सिंह शेखावत: मैं बता रहा हूं कि जो पत्न उन्होंने लिखा है उसमें कुछ ग्रपशब्द